अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

328/2023/225 राकेश यादव v/s गणेशराम

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/328 श्री हरदत्त स्वारण P&O श्री	

6/11/24

राकेश यादव बनाम गणेश राम वगैरह (2023/328)

पत्रावली वास्ते सुनवाई स्थगन प्रार्थना-पत्र हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी काश्तकार होकर काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु विपक्षीगण द्वारा अपीलांट की भूमि पर गलत तथ्य के आधार पर अपना हक जताते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,मौजमाबाद के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि कतई चलने योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1092 रकबा 1.25है., खसर नम्बर 1093 रकबा 0.18है., कुल रकबा 1.43 है0 जिसके साबित खसरा नम्बर 91 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि नोलाराम की बताते हुए घोषणा चाही गई है परन्तु उक्त भूमि नोलाराम की कभी भी नहीं रही, उक्त भूमि हमेश से ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही रामू पुत्र नोला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रह है जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम उगरियावास सम्वत 2012–2020, 2021–2024, 2026–2029, 2029–2032, 2046–2049 में रामू पुत्र नोला के नाम राजस्व रिकार्ड में चल आ रही है उक्त भूमि कभी भी नोलाराम के नाम नहीं रही केवल मनबढत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना देखे ही मनमाने रूप से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति को बिना देखे ही नॉन–स्पीकिंग आदेश से रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जिससे रेकार्डेड खातेदार को अपनी हक व हिस्से की भूमि को उपभोग, उपयोग एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं जैसे विद्युत कृषि कनेक्शन, वाटर स्टोरेज, सौर ऊर्जा, रहवास हेतु भवन निर्माण अन्य उपयोग, उपभोग आदि का लाभ प्राप्त करने से पाबंद नहीं किया जा सकता है इसलिए उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 की पालना स्थगित की जावें। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 की पालना स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया।बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि अन्तिम आदेश नहीं होकर, अन्तरिम आदेश है। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट गणेश राम वगैरह ने वाद पेश किया गया तथा वाद के साथ प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। जिसे दिनांक 04.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विवादित आराजी खाता संख्या 746 के खसरा नम्बर 1092 रकबा 1.25है., खसर नम्बर 1093 रकबा 0.18है., कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम उगरियावास में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.11.2023 तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है तथा

लगातार......

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

328/2023/225 राकेश यादव v/s गणेश राम

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	328/2023 श्री हरदत्त सारण/ P.S.O. श्री	

लगातार....

अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस रजिस्टर्ड से करवाये जानें तथा यदि उक्त अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14.11.2023 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.10.2023 में यह कथन अंकित किया है कि यदि उक्त अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थी/अपीलांट ने उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 में आपना जवाब या आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर, उक्त आदेश के विरूद्ध सीधे ही उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब या आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए जो उनके द्वारा नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन है। प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

1102

न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी, अजमेर

अपील टी.ए. सं. 328 सन् 2023 जिला – दूदू

1. राकेश यादव पुत्र गिरधारी लाल यादव जाति यादव निवासी पचार रोड किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1. गणेश राम पुत्र लक्ष्मण
2. बोदूराम पुत्र लक्ष्मण
3. निर्मल पुत्र गोपाल
4. रमेश पुत्र गोपाल
5. मंजू उर्फ मंगली पुत्री गोपाल
6. भूरी देवी पत्नी गोपाल
7. रामप्रताप पुत्र लक्ष्मण
8. मुलचन्द पुत्र लक्ष्मण
9. हनुमान पुत्र राजू
10. रतन पुत्र रामू
11. पूरणमल पुत्र फुलचन्द
12. किशनलाल पुत्र फुलचन्द
13. मंजू देवी पुत्री फुलचन्द
14. शांति देवी पुत्री फुलचन्द
15. गोरा देवी पत्नी फुलचन्द

समस्त जाति कुमावत निवासी कडेरियों की ढाणी ढीण्डा तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण राज.।

16. उप पंर्जीयक महोदय बिचून तहसील मौजमाबाद जिला दूदू।
17. तहसीलदार मौजमाबाद जिला दूदू।

.....रेस्पोण्डेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद दिनांक 04.10.2023 जो कि प्रकरण सं. 424/2023 उनवानी गणेशराम बनाम हनुमान वगैरह में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन हैं :–

अ. यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि रेस्पो. स0 1 ता 8/वादीगण ने अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 9 लगायत 15 के

Scanned with CamScanner